मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023 (फाल्गुन 30, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में उल्लेख

(1) सर्वश्री बाला बच्चन, सदस्य ने उल्लेख किया कि प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है. सरकार असफल होती जा रही है, आदिवासी युवतियों की रक्षा नहीं हो पा रही है. नागौर कुटीर में हुई घटना में आदिवासी युवती का उत्पीड़न हुआ और उसकी हत्या कर दी गई. इस पर शून्यकाल में चर्चा कराई जाए. आसंदी ने उन्हें सूचित किया कि अभी प्रश्नकाल हो जाने दें.

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री महोदय यहां उपस्थित न होकर प्रदेश में जगह-जगह घोषणा कर रहे हैं. क्या सदन के चलते वे बाहर ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं ? इससे सदन की अवमानना हो रही है, जो हम नहीं सहेंगे. आसंदी ने उन्हें आश्वस्त किया कि इसमें कोई अवमानना नहीं हुई है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मत व्यक्त किया कि इनके नेता तो सदन में आते ही नहीं हैं वह पूर्व में मुख्यमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष थे और अब प्रदेश अध्यक्ष हैं. उनके न आने से सदन की अवमानना हो रही है.

(3) आसंदी ने श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया कि उन्होंने आसंदी के एक निर्देश का कल ही तत्परता से पालन कर दिया है.

2. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन इस सत्र हेतु पूर्व घोषित सभापति तालिका को पुनरीक्षित करते हुए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री लक्ष्मण सिंह
(2) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(3) श्री देवेन्द्र वर्मा
(4) श्री दिव्यराज सिंह
(5) श्री हरिशंकर खटीक
(6) श्रीमती कृष्णा गौर

3. अध्यक्षीय घोषणा

महिला सभापति द्वारा आसंदी का संचालन एवं प्रश्नकाल में महिला सदस्यों के प्रश्न लिये जाना

आसंदी द्वारा घोषणा की गई कि – "दिनांक 8 मार्च, 2023 को महिला दिवस था और इस वर्ष यह छुट्टी होने के कारण पूर्वानुसार उस नवाचार को नहीं कर पाया. इसलिये आज की तिथि चुनी है. इसलिये आज प्रथम बार के विधायकों, खास तौर पर हमारी महिला साथियों के प्रश्न लगाने का प्रयास किया है. अत: प्रश्नकाल में, हमारी सभापति तालिका की महिला साथी श्रीमती कृष्णा गौर से यह अनुरोध करता हूं कि वे आसंदी पर आएं और आज प्रश्नकाल पूरा चलाएं".

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मत व्यक्त किया कि – "अध्यक्ष जी ने संस्कृति के संवाहक बनकर एक अच्छी और मान्य परम्परा का निर्वहन किया है, उसके लिए मैं आसंदी को साधुवाद देता हूँ. हमारी संस्कृति भी है कि नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है. आपके इस निर्णय से प्रदेश के अन्दर सभी मातृ शक्तियों में एक अच्छा संदेश जायेगा. मैं सभापति तालिका में सम्मिलित श्रीमती कृष्णा गौर का भी अभिनंदन करता हूँ".

श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि आसंदी के माध्यम से हम भी नारी सम्मान के लिए साधुवाद देते हैं. लेकिन प्रदेश के साथ एक दुर्भाग्य यह भी जुड़ा है कि हम देश में महिला अत्याचार और बलात्कार में प्रथम स्थान पर हैं, इसे रोकने की तरफ शासन ध्यान दे.

श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्यों ने उल्लेख किया कि माननीय सदस्य यदि महिलाओं के प्रति इतने ही चिंतित हैं तो उन्हें सदन में प्रश्न, शून्यकाल, स्थगन, ध्यानाकर्षण लगाना चाहिए जो उन्होंने नहीं लगाया और इस तरह पूरे सदन को ये प्रभावित कर रहे हैं. नारी सम्मान हेतु अध्यक्ष महोदय ने जो नवाचार किया है, विपक्ष को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी.

सभापति महोदया (श्रीमती कृष्णा गौर) पीठासीन हुईं.

4. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 (क्रम परिवर्तित कर लिया गया), 6, 9, 10, 12, 13, 15, एवं 16) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 151 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 188 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि श्रीमती रामबाई गोविन्द सिंह जिनका प्रश्न संख्या 5 प्रश्न पूछ नहीं पाई थी. आज नारी दिवस है, इसलिए उन्हें अपना प्रश्न अभी पूछ लेने दें.

आसंदी ने व्यवस्था दी कि यदि कोई माननीय सदस्य अपने समय में अनुपस्थित रहता है तो उसे प्रश्नों के द्वितीय चरण में बोलने का अवसर दिया जाता है आज महिलाओं का दिन है, इसलिए मैं उन्हें अपना प्रश्न करने का अवसर प्रदान कर रहा हूँ.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

6. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य की हटा नगर में कुसमरिया जी के पंप से विमलगढ़ी तक की फोरलेन सड़क का पुर्ननिर्माण कराये जाने,

(2) श्रीमती कल्पना वर्मा, सदस्य की कटनी जिले में जिला प्रबंधक द्वारा राईस मिलरों से मिलीभगत कर राईस मिलरों का चावल अमानक पाये जाने,

(3) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की सोनकच्छ क्षेत्र में सी.एम. राईज स्कूल न खोले जाने,

(4) डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा विधान सभा क्षेत्र में भारी वर्षा के साथ ओले व पाला पड़ने से किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजा हेतु विभागीय सर्वे न किये जाने,

(5) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सीधी सिंगरौली फोरलेन राजमार्ग के निर्माण मरम्मत व बकायादारों की राशि का भुगतान न मिलने,

(6) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिले के ग्राम पंचायत मोहगांव में जलाशय का निर्माण कराये जाने,

(7) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत ग्राम रोजगार सहायक/सहायक रोजगार सचिव के मानदेय में वृद्धि की जाने,

(8) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के बिल वसूली के नाम पर विद्युत कनेक्शन विच्छेद किये जाने,

(9) श्री संजय यादव, सदस्य की भारतीय सेना में अहीर रेजीमेंट का गठन किये जाने तथा

(10) श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी, सदस्य की छतरपुर जिले के रेल्वे स्टेशन डुरियागंज का नाम बदलकर बागेश्वर धाम रेल्वे स्टेशन किये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

7. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) नागोर कुटी में आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किये जाने की घटना पर चर्चा की मांग को लेकर गर्भगृह में प्रवेश एवं बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन, सदस्य ने उल्लेख किया कि नागौर कुटी मैं भी एक आदिवासी युवती के साथ गैग रेप जैसी घटना हुई है और ऐसी घटनाएं प्रदेश में रूक नहीं रही हैं. मृत लड़की को अपराधी अस्पताल छोड़कर भाग गये, इसमें उच्च स्तरीय जाँच हो और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए. सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे. कुछ देर बाद, इस घटना संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना को चर्चा में लेने की मांग करते हुए कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी की गई व बहिर्गमन किया गया.

(2) आगर जिले में को विलम्ब होने पर परीक्षार्थियों परीक्षा से वंचित किया जाना

एडवोकेट हर्ष यादव, सदस्य ने उल्लेख किया कि आगर जिले में केवल 10 मिनट लेट होने से बोर्ड परीक्षा से परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया. शासन उनको दोबारा परीक्षा देने का मौका प्रदान करे और दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करे.

(3) प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में गंगानगर कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल में निर्माणाधीन भवनों का कार्य धीमी गति से चलना एवं भोपाल के भीम नगर में बालिका की हत्या की जाना

श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि -

(1) नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गंगानगर कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल में निर्माणाधीन सी-1, सी-2 एवं सी-3 भवनों के MIG तथा EWS ब्लाक तथा दुकानों सहित अधोसंरचना के निर्माण कार्य धीमी गति से चलने के कारण, जो कार्य 2021 में पूर्ण होना था, वह आज तक पूर्ण न होने से क्षेत्र की जनता में शासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है. अत: जून, 2023 की नियत समय सीमा में इनके कब्जे (गुणवत्ता सहित) अतिशीघ्र हितग्राहियों को प्रदान किए जाए.

(2) भोपाल के भीम नगर क्षेत्र में 13 वर्षीय कुमारी खुशबू पुत्री श्री फूलन ने फांसी लगाकर 20 मार्च, 2023 को आत्म हत्या कर ली, ऐसा पुलिस द्वारा बताया जा रहा है. जबकि उसके परिजनों का कहना है उसने आत्म हत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है. शासन इस प्रकरण की न्यायिक जाँच कराकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए.

(4) पवई विधान सभा के अंतर्गत बांधों का निर्माण एवं नवीन महाविद्यालयों की स्थापना कराई जाना

श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य ने उल्लेख किया कि पवई अंतर्गत विकास खण्ड शह नगर के पास रैपुरा, पिपरिया कलां, हरदुआ, खुमरिया, ग्राम पंचायत सर्रा में सिंचाई बांधों का निर्माण और रैपुरा, मोहंदरा में नवीन महाविद्यालय एवं पवई और शह नगर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना कराई जाए.

8. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

9. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में 19 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 6 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जायेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जायेगी. उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा. तद्नुसार -

(1) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने शिवपुरी केन्द्रीय सहकारी बैंक में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य ने जावरा नगर में रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज का कार्य अपूर्ण होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री गोपाल भार्गव ने चर्चा का उत्तर दिया.

(3) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने प्रदेश के अनेक जिलों में कुत्तों द्वारा काटने की घटनाओं की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने चर्चा का उत्तर दिया.

(4) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने नरयावली क्षेत्र के गांवों में पेयजल संकट होने संबंधी सूचना उनकी अनुपस्थिति के कारण पढ़ी नहीं गई.

(5) श्री संजय यादव, सदस्य ने जबलपुर की कृषि उपज मंडी शहपुरा भिटोनी में अव्यवस्था की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री कमल पटेल ने चर्चा का उत्तर दिया.

(6) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य ने छतरपुर सहकारी बैंक में सहायक प्रबंधक के पदों पर नियुक्ति में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने चर्चा का उत्तर दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (7) से (19) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए -

(7) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य की प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारियों को इलाज की सुविधा न मिलने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(8) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के जौरा क्षेत्र राजस्व रिकार्ड में विसंगति होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पात्र हितग्राहियों को न मिलने संबंधी सूचना तथा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री आरिफ अक़ील, सदस्य की मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण का वक्तव्य.

(11) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर क्षेत्र की झारड़ा तहसील के अंतर्गत अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(12) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की अनूपपुर जिले की अपर सिंचाई परियोजना बांध शोभापुर को निरस्त किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

(13) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की खाचरौद उपजेल में कैदी की मौत होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(14) सर्वश्री कमलेश जाटव, राकेश मावई, सदस्यगण की प्रदेश के निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्त किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का वक्तव्य.

(15) श्री बापूसिंह तंवर, सदस्य की राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में अनिवार्य सम्पत्ति का पुनर्निर्माण न किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(16) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य की प्रदेश में कृषकों की उपज की तौल इलेक्ट्रानिक कांटों से न किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.

(17) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य की मुरैना नगर क्षेत्र का गंदा पानी क्वारी नदी में छोड़े जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(18) श्रीमती कल्पना वर्मा, सदस्य की सतना, रीवा, कटनी जिले में राइस मिलों द्वारा अमानक चावल दिये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(19) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार एवं रतलाम जिले में रोज़ड़ों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

10. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा आवेदन प्रस्तुत हुए माने गए :-

(1) श्री सुनील उईके (जिला-छिन्दवाड़ा)
(2) श्री रामलाल मालवीय (जिला-उज्जैन)
(3) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)

(4) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(5) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(6) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (जिला-विदिशा)
(7) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(8) श्री अनिरुद्ध 'माधव' मारू (जिला-नीमच)
(9) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार 'रजौधा' (जिला-मुरैना)
(10) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
(11) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(12) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(13) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(14) श्री नीरज विनोद दीक्षित (जिला-छतरपुर)
(15) श्री हर्ष विजय गेहलोत (जिला-रतलाम)
(16) श्री निलय विनोद डागा (जिला-बैतूल)
(17) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे (जिला-देवास)
(18) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(19) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल शहर)
(20) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(21) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(22) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(23) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(24) श्री विक्रम सिंह राणा (जिला-शाजापुर)
(25) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(26) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर शहर)
(27) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(28) सुश्री चंद्रभागा किराड़े (जिला-बड़वानी)
(29) श्री रामचंद्र दांगी (जिला-राजगढ़)
(30) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(31) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(32) श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-खरगोन)
(33) श्री बापू सिंह तंवर (जिला-राजगढ़)
(34) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)

11. वक्तव्य

श्री इन्दर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा मंत्री ने दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्रमांक 163) एवं दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्रमांक 289) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिए.

12. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि हमने अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था नियमानुसार 14 दिन के अंदर आपका निर्णय आना चाहिए था, जो अभी तक नहीं आ पाया है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मत व्यक्त किया कि इसमें 3 बिन्दु हैं (1) अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास नहीं संकल्प आता है. (2) निलंबन प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया था और सदन द्वारा पारित किया गया था. (3) प्रतिपक्ष ने अपना प्रस्ताव समय सीमा के बाद दिया है. इसलिए आसंदी इस पर भी निर्णय ले.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि - "माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रश्न किया है उसमें संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने सही कहा है. आप नियम 145 (1) को देखें. "कोई सदस्य जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो हटाने के लिये संविधान के अनुच्छेद 179 के खण्ड (ग) के अधीन किसी संकल्प की सूचना देना चाहें वह उसे लिखित रूप से प्रमुख सचिव को देगा, "किसी संकल्प", शब्द है. संकल्प उप नियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये गये किसी दिन की कार्य सूची में संबंधित सदस्य के नाम से दर्ज कर दिया जायेगा. परन्तु इस तरह से निश्चित किया गया दिन संकल्प की सूचना प्राप्त होने के तिथि से 14 दिन बाद का कोई दिन होगा". इसमें 2 बातें हैं (1) आपका अविश्वास प्रस्ताव 10.30 बजे के बाद आया, मैं आसंदी पर आ चुका था, तब आपने उसे दिया. (2) संकल्प नहीं, अपितु आपने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आता है. अध्यक्ष के खिलाफ, उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है. फिर भी 14 दिन 17 तारीख को हुए हैं. मैंने तब ही आदेश कर दिए थे कि आपका अविश्वास प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है. पर संसदीय परम्पराओं और मान्यताओं को और ऊंचाई प्रदान करने के लिये मैंने 27 तारीख निर्धारित कर दी थी".

श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि हम दिनांक 27 मार्च, 2023 को उपस्थित रहेंगे और इस पर चर्चा करेंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री ने मत व्यक्त किया कि – "सदन नियम प्रकिया या परम्परा से चलता है. इसमें इनका पालन नहीं किया गया. आसंदी ने 27 तारीख निर्धारित कर दी, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता. परन्तु, मेरी आपत्ति यह है कि नियम प्रक्रियाओं के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है. आसंदी की उदारता से गलत परम्परा पड़ जायेगी. मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ".

श्री सज्जन सिंह वर्मा सदस्य ने उल्लेख किया कि – "जब आसंदी से व्यवस्था आ चुकी है और 27 तारीख निर्धारित की गई है. इसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है इस पर आसंदी निर्णय दे चुकी है. हमने तो आसंदी पर छोड़ दिया है. वह जो निर्णय लेगी उसे हम मान्य करेंगे ओर आसंदी का सम्मान करेंगे".

आसंदी ने पुन: यह व्यवस्था दी कि – "दिनांक 21 फरवरी, 2021 को जब मुझे आसंदी पर बिठाने का आप सब ने काम किया था तब मैंने आश्वस्त किया था कि मेरे पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारियों ने विधान सभा के भीतर जो परम्पारा की है उस पर एक खरोच तक नहीं आने दूंगा और ऐसा मैंने करने का प्रयास किया है. अभी आप के ऊपर है आप सबको लगता है कि ये प्रस्ताव नहीं होना चाहिए उसको वापिस करने में दिक्कत नहीं है. नेता प्रतिपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा है उसमें तारीख दे दे दी है वो मैं मत के लिए रखूंगा. यदि उसके पक्ष में लोग खड़े होंगे तब 10 दिन के भीतर कोई तारीख तय करनी पड़ती है. यह नियमानुसार है".

(अपरान्ह 1.29 बजे से 3.07 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

13. इण्डियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अध्यक्ष के संबंध में प्राप्त प्रतिपक्ष की सूचना को अग्राह्य किया जाना : प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी के समक्ष यह मत व्यक्त किया कि – "प्रतिपक्ष ने जो अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास किया है वो नियम प्रक्रिया के तहत नहीं आ सकता, संकल्प आ सकता है. मैं आपके माध्यम से सदन में हमारे सदस्यों की ओर से यह प्रस्ताव करता हूँ कि इसे अग्राह्य किया जाए. आसंदी चाहे तो मतदान भी करा सकती है".

डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने मत व्यक्त किया कि – "नियमों में स्पष्ट है कि यदि संकल्प नियमों के विपरीत हो तो उस पर किसी भी स्थिति में चर्चा नहीं हो सकती है. संसदीय प्रक्रिया एवं व्वहार, कौल एण्ड शकधर के पृष्ठ 120 के बिन्दु 3 में यह बात निहित है. दूसरी बात, 14 दिन की गिनती के लिए पहला दिन और आखिरी दिन छोड़ा जाता है, तो इस तरह उसको 16 दिन चाहिए, जो हुए नहीं हैं, इसलिए दोनों स्थितियों में इस पर चर्चा नहीं हो सकती. तीसरी बात, आपने इसे अग्राह्य योग्य माना है तो अग्राह्य माने गये विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है".

सर्वश्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री, विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री, यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्यों ने आसंदी से अनुरोध किया कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है वह विधिसम्मत है इसलिए प्रतिपक्ष के प्रस्ताव को अग्राह्य किया जाए.

इस पर आसंदी द्वारा उल्लेख किया गया कि पूर्वाह्न में मेरे द्वारा नेता प्रतिपक्ष की मांग पर प्रतिपक्ष द्वारा अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी सूचना पर विनिश्चय की जानकारी सभी तथ्यों के साथ दी गई थी. अब संसदीय कार्यमंत्री द्वारा उसी परिप्रेक्ष्य में यह प्रस्ताव किया गया है.

आसंदी द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. सूचना अग्राह्य हुई.

14. वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में उल्लिखित अनुदानों की मांगों पर मुखबंध (गिलोटिन) : प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनु दानों की मांगों को गिलोटिन किया जाए.

15. वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में उल्लिखित अनुदानों की मांगों पर मुखबंध (गिलोटिन) एवं पक्ष एवं कांग्रेस द्वारा बहिर्गमन

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के साथ कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव, अनुपूरक बजट एवं कुछ अनुदान मांगों पर दोनों पक्षों के अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई है. कम समय शेष होने से विभागवार अनुदानों की मांगों पर पूर्व निर्धारित अनुसार चर्चा पूर्ण होना संभव नहीं है. जबकि समय सीमा में विभागों के मंत्रियों की अनुदान मांगे स्वीकृत होना आवश्यक हैं.

अत: वर्णित स्थिति में आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर अब मुखबन्ध (गिलोटिन) होगा. इस संबंध में मतदान हेतु सभी विभागों की अनुदान मांगें माननीय वित्त मंत्री जी एक साथ प्रस्तुत करेंगे तथा उन पर एक साथ मत लिया जाएगा.

तद्नुसार, श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या -	24	लोक निर्माण कार्य के लिए नौ हजार तीन सौ इक्यावन करोड़, तिरानवे लाख, पचास हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए एक सौ बत्तीस करोड़, छियानवे लाख, अट्ठावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के लिए दो सौ पच्चीस करोड़, चौंतीस लाख, तेरह हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	23	जल संसाधन के लिए सात हजार एक सौ इकहत्तर करोड़, पैंसठ लाख, तीन हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	10	वन के लिए तीन हजार नौ सौ छह करोड़, सैंतालीस लाख, पचहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार एक सौ दस करोड़, बयासी लाख, पंचानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	3	गृह के लिए दस हजार दो सौ अड़तालीस करोड़, अठारह लाख, छियालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	5	जेल के लिए छह सौ तैंतालीस करोड़, सत्रह लाख, इक्यावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	28	राज्य विधान मण्डल के लिए एक सौ आठ करोड़, चौरानवे लाख, अड़तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	29	विधि और विधायी कार्य के लिए दो हजार सात सौ अठासी करोड़, बयासी लाख, अठहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	12	ऊर्जा के लिए अठारह हजार दो सौ बयालीस करोड़, पंचानवे लाख, तिरासी हजार रुपये,

अनुदान संख्या -	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए दो हजार दो करोड़, सात लाख, सत्तावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	22	नगरीय विकास एवं आवास के लिए तेरह हजार पांच सौ पंचानवे करोड़, चौवन लाख, तिरेसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	33	जनजातीय कार्य के लिए ग्यारह हजार सात सौ अड़तालीस करोड़, दो लाख, चौबीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए दो हजार एक सौ बासठ करोड़, सोलह लाख, पंचानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए सोलह हजार नौ सौ छियानवे करोड़, तिरेपन हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय के लिए नौ हजार दो सौ अस्सी करोड़, छियासी लाख, इकहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	36	परिवहन के लिए एक सौ उनसठ करोड़, बयासी लाख, सैंतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	18	श्रम के लिए नौ सौ चवालीस करोड़, उनहत्तर लाख, तीन हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	25	खनिज साधन के लिए एक हजार उनहत्तर करोड़, सड़सठ लाख, छिहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास के लिए एक सौ तिरेपन करोड़, पच्चीस लाख, चौवन हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	52	चिकित्सा शिक्षा के लिए तीन हजार एक सौ अड़सठ करोड़, पच्चीस लाख, अट्ठानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए ग्यारह हजार नौ सौ सतासी करोड़, तिहत्तर लाख, दो हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	30	ग्रामीण विकास के लिए सत्रह हजार चार सौ इकहत्तर करोड़, तेईस लाख, उनहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	40	पंचायत के लिए छह हजार नौ सौ बहत्तर करोड़, छह लाख, चौदह हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	6	वित्त के लिए पच्चीस हजार तीन सौ सैंतीस करोड़, सतासी लाख, उनतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	7	वाणिज्यिक कर के लिए दो हजार दो सौ तेरह करोड़, पच्चीस लाख, पंचानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए नौ सौ चार करोड़, सत्तावन लाख, अठहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	14	पशुपालन एवं डेयरी के लिए एक हजार चार सौ बानवे करोड़, बारह हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	34	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के लिए तीन हजार नौ सौ सतासी करोड़, पंद्रह हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए आठ सौ उन्यासी करोड़, अड़तीस लाख, बानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए तीन सौ तैंतालीस करोड़, चार लाख, उनतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	26	संस्कृति के लिए सात सौ उन्नीस करोड़, तैंतीस लाख, छियानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	37	पर्यटन के लिए दो सौ उनहत्तर करोड़, छियानवे लाख, उनतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए एक सौ बारह करोड़, तैंतालीस लाख, अड़सठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	17	सहकारिता के लिए दो हजार तीन सौ चौरासी करोड़, पैंतीस लाख, अट्ठाइस हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	21	लोक सेवा प्रबंधन के लिए एक सौ सत्रह करोड़, अठहत्तर लाख रुपये,
अनुदान संख्या -	44	उच्च शिक्षा के लिए तीन हजार सात सौ चवालीस करोड़, अठासी लाख, तीन हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	09	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए उनसठ करोड़, पांच लाख, तिरेपन हजार रुपये,

अनुदान संख्या -	04	पर्यावरण के लिए पैंतीस करोड़, बीस लाख, इक्यानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	43	खेल और युवा कल्याण के लिए सात सौ अड़तीस करोड़, बारह लाख, सतहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए दो हजार नौ सौ संतानवे करोड़, दो लाख, छियालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए चार सौ नवासी करोड़, तैंतालीस लाख, पैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	27	स्कूल शिक्षा के लिए इकतीस हजार छह सौ बत्तीस करोड़, पैंसठ लाख, पैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	15	घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग के लिए बयालीस करोड़, पचहत्तर लाख, छह हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	53	अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक सौ चौवन करोड़, छप्पन लाख, तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	54	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक हजार दो सौ चौरासी करोड़, सात लाख, उन्यासी हजार रुपये, एवं
अनुदान संख्या -	38	आयुष के लिए सात सौ पैंतालीस करोड़, तिरेपन लाख, अड़तालीस हजार रुपये,

तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

डॉ गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा प्रस्तुत मुखबन्ध के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2023 (क्रमांक 6 सन् 2023) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2023 (क्रमांक 6 सन् 2023) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री की अनुपस्थिति में श्री ओ.पी.एस. भदौरिया, राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं आवास ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री की अनुपस्थिति में श्री ओ.पी.एस. भदौरिया, राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं आवास ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण विधेयक, 2023 (क्रमांक 3 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 16 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण विधेयक, 2023 (क्रमांक 3 सन् 2023) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने प्रस्ताव किया कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

17. मध्यप्रदेश की विधान सभा की वर्ष 2022-23 की अवधि के लिये कर्तव्यरत सभा समितियों के कार्यकाल में वर्तमान पंचदश विधान सभा के कार्यकाल पर्यन्त वृद्धि की जाना प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश की विधान सभा की वर्ष 2022-23 की अवधि के लिये कर्तव्यरत सभा समितियों के कार्यकाल में वर्तमान पंचदश विधान सभा के कार्यकाल पर्यन्त वृद्धि की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

18. सत्र का समापन

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र समापन के संबंध में यह विचार व्यक्त किए कि – "मात्र एक दिन सत्र का बचा था और आसंदी द्वारा काफी धैर्य पूर्वक, संयम पूर्वक सम्मानित विपक्ष के साथियों को सर्वाधिक समय दिया गया. मुझे ध्यान नहीं आता कि इस सत्र में जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सारगर्भित चर्चा के दौरान आपने कभी किसी माननीय सदस्य को जल्दी बिठाया हो, पूरी बात कहने की आपने उन सबको पूरी स्वतंत्रता दी. इसी तरह से आम बजट पर सम्यक चर्चा, के दौरान भी आसंदी ने विनियोग विधेयक, अनुपूरक अनुमान और मुख्यमंत्री जी के विभागों पर चर्चा में भी आसंदी ने सभी को पूर्ण अवसर दिया. विधान सभा में सदन इस तरह का होता है कि यहां हिलोर कभी उधर से आती है, कभी इधर से आती हैं और नीलकंठ बनकर दोनों हिलोरों को पी जाना, अपने गुस्से को शांत करना, अपने आपको कोमल बनाकर हमारे क्रोध को भी पी जाना यह आसंदी की विशेषता और परम्परा भी रही है. इसलिये मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. अब इस समाप्त होते सत्र में जबकि बजटीय कार्यवाही और संसदीय कार्यवाही लगभग पूर्णता की ओर है. अकेले कांग्रेस के सम्मानित सदस्य आरिफ भाई बैठे हैं, लेकिन मेरी इच्छा तो यह थी कि सम्मानित नेता प्रतिपक्ष भी होते तो समापन ठीक होता.

अध्यक्ष महोदय एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उनकी व सदन की ओर से सम्मानित सदस्यण, विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु एवं विधान सभा सुरक्षाकर्मी व पुलिस बल, सभी का आभार व्यक्त किया. साथ ही, प्रदेश वासियों को गुड़ी पड़वा, चैती चांद और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं.

19. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाना : प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को यह सूचित किया कि – "विधान सभा के वर्तमान सत्र के लिए निर्धारित समस्त शासकीय, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

20. राष्ट्रगान
'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

21. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना: घोषणा

अपराह्न 3.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 21 मार्च, 2023